प्रौढ़ शिक्षा

दिसम्बर 2011
वर्ष 56 अंक-5

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

ए.एच.खान
डा. एल.राजा
डा. मदन सिंह
ए.एल.भार्गव
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा
प्रफुल्ल नागर

सहायक सम्पादक
बी. संजय

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनके लिए संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

मूल्य : 100 रूपये वार्षिक

इस अंक में

सम्पादकीय

उच्च शिक्षा में तृतीय आयाम के प्रसार का महत्व
— एस.एस. रावत 4

आधुनिक भारतीय समाज में अवरोधित महिला शिक्षा
— भारती जोशी 11

शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के बढ़ते कदम
— प्रतिभा ज्योति 16

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता और संकाय के प्रभाव का अध्ययन
— अर्चना दुबे
— महेन्द्र पाटीदार 19

राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन गरीबी प्रशमन की दिशा में एक और कदम 27

जलवायु परिवर्तन का उत्तराखण्ड की मुख्य आजीविका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा स्थानीय समुदायों द्वारा अपनाई गई अनुकूलन की रणनीति
—सरिता पंवार 34

हमारे लेखक 40

सम्पादकीय

सुरक्षा कवच है पढ़ने की आदत

कहते हैं पंडित नेहरू को विश्व मंच पर जो ख्याति मिली उसमें पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादन (1954) की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. आर. ए. माशेलकर ने सन् 2000 में इण्डियन सांइस कांग्रेस के उदघाटन के दौरान 'नई सदी में भारत के लिए नए पंचशील सिद्धांतों पर अमल करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि बाल केन्द्रित शिक्षा, महिला केन्द्रित परिवार, मनुष्य केन्द्रित विकास, ज्ञान केन्द्रित समाज और अनुसंधान केन्द्रित देश, नई सदी में ये भारत के नए पंचशील होने चाहिए। डॉ. माशेलकर ने उपरोक्त पांच सिद्धांतों में भी ज्ञान केन्द्रित समाज के निर्माण को प्रमुख माना था। उनका मानना था कि आने वाली सदी में वे सभी देश जो स्वयं को नालेज सोसाईटी (ज्ञान आधारित समाज) के रूप में विकसित कर पायेंगे क्रमशः समृद्ध होंगे, जिन्दा रहेंगे और शेष देशों का अस्तित्व धीरे–धीरे विलुप्त हो जाएगा।

यह हर्ष का विषय है कि नई सदी में भारत में गठित सभी सरकारों ने इस आशय को प्रमुखता प्रदान की। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 16 फरवरी 2000 को योजना आयोग ने आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री के. सी. पंत के नेतृत्व में भारत को नालेज सोसाईटी के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार करने हेतु 11 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का गठन किया। वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसी नालेज सोसाईटी के गठन के लक्ष्य को साकार करने हेतु सन् 2005 में सैम पित्रोदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया।

मनुष्य में ज्ञान की पिपासा कोई नई बात नहीं है। सदियों से मनुष्य ज्ञान की खोज में अनवरत लगा रहा है। उसकी इसी ललक के कारण हम खानाबदोश सभ्यता से आगे बढ़ राजतंत्र और अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से होते हुए लोकतंत्र तक पहुंच पाए। कंदमूल फल और जंगली जानवरों के मांस पर जीवित रहने वाले हम क्रमशः कृषि आधारित, उद्योग आधारित, सूचना आधारित और आज ज्ञान आधारित समाज की कल्पना कर रहे हैं। अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत अभी भी कृषि से उन्नत–औद्योगिकी आधारित समाज में रूपांतरण की ओर है।

सर्वोच्च न्यायलय के पूर्व न्यायाधीश तथा वर्तमान में प्रेस कांउसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कण्डे काटजू ने 5 दिसंबर 2011 को कोलकत्ता में 'भारत में मीडिया की भूमिका' पर बोलते हुए कहा कि देश में 90 प्रतिशत आबादी की बौद्धिक क्षमता न्यूनतम दर्जे की है। यह स्थिति तब है जब सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हम 74.04 प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त कर चुके हैं। श्री काटजू के कहने का आशय सम्भवतः यह है कि महज 74.04 प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त देश में नालेज सोसाईटी जिसका हर घटक ज्ञान आधारित कार्य से जीवन संचालन करे, की कल्पना कैसे की जा सकती है?

स्पष्ट है कि हमें और आगे जाना होगा। यह भी स्पष्ट है कि महज साक्षरता से बौद्धिक विकास नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि शत–प्रतिशत आबादी न केवल साक्षर हो बलिक उसमें स्वप्रेरणा से पढ़ने की आदत भी विकसित हो। पढ़ने की आदत विकसित करने की भूमिका यूनेस्को ने बहुत पहले ही रेखांकित की थी। इसी के मद्देनजर सन् 1972 को अतंर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया गया था। तब से अब तक पानी बहुत बह चुका है और परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। आज गांव–गांव तक पुस्तकालयों के पहुंच के दावे किये जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में पठन सामग्री प्रकाशित हो देश के कोने–कोने में पहुंच रही है। समाचार पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। बावजूद इसके चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा किए गये ताजा अध्ययन के अनुसार पढ़ने की आदत के मामले में भारत विश्व के अनेक देशों से पीछे है।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने देश में पढ़ने की महत्ता को पुनः उजागर करने और इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रीडिंग एशोसिएशन के तहत इण्डियन रीडिंग एशोसिएशन नामक नवीन अध्याय की शुरूआत की है। इस विषय को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता प्रदान करने के लिए संघ भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 59वें अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन का विषय भी पढ़ने की आदत के विकास संबंधित विविध पहलुओं पर केन्द्रित करना चाहता था। बहरहाल इस सम्मेलन को अनिवार्य कारणों से पोस्टपोंड करना पड़ा है। पर भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन विकसित करने की पृष्ठभूमि तैयार करने की ओर पहल करेगा।

वर्षों पहले (1787) अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थामस जेफरसन ने वर्जिनियां के प्रथम मार्शल एडवर्ड कारिंगटन को एक पत्र में लिखा था कि यदि समाचार पत्र विहीन सरकार (Government without Newspapers) और सरकार विहीन समाचार पत्र (Newspapers without Government) इन दोनों में से मुझे किसी एक का चयन करना हो तो निश्चित ही मैं सरकार विहीन समाचार पत्र का चयन करूंगा। जेफरसन का मानना था कि समाचार पत्र पढ़ने के प्रतीक हैं और लोकतंत्र का लाभ तथा स्वयं पर शासन करने की क्षमता भी पढ़ने से ही आती है। इतना ही नहीं अत्याचार, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसे सूचना से सुसज्जित नागरिक ही रोक सकते हैं। जेफरसन मानते है कि अत्याचार और आम आदमी के बीच सूचना से सुसज्जित नागरिक सुरक्षा कवच स्वरूप हैं। इसलिए देश का हर नागरिक साक्षर हो, पढ़ने लगे, उपलब्ध सूचनाओं का स्वयं के हित में उपयोग करने लगे, उसमें स्वप्रेरणा से पढ़ने की आदत उत्पन्न हो जाय यह सरकार से कही ज्यादा समाज की आवश्यकता है और उसकी जिम्मेवारी भी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर समाज को स्वयं के संसाधनों के आधार पर बीड़ा उठाना चाहिए। समय आ गया है जब भारतीय समाज को भी निजी श्रम एवं संसाधनों का उपयोग कर इस लक्ष्य के प्राप्ति का शपथ लेना चाहिए।

– बी. संजय

उच्च शिक्षा के तृतीय आयाम के प्रसार का महत्व

एस. एस. रावत

'सीखो अथवा नष्ट हो जाओ' (Learn or Perish) प्रख्यात शिक्षाविद ए.जे. टोयनबी का यह कथन आज के सन्दर्भ में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि द्रुतगामी विकास और प्रतिस्पर्धा के युग में यदि नागरिक वर्तमान चुनौतियों और माँग के सन्दर्भ में स्वयं को सूचनायुक्त, सजग और दक्ष नहीं बनाते हैं तो वे विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। यदि किसी राष्ट्र में यह स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती है तो सम्पूर्ण सभ्यता ही नष्ट हो जाती है। अतः निरन्तर सीखते रहने की जिज्ञासा और प्रवृत्ति को मानव की प्रगति और अस्तित्व के लिये अपरिहार्य माना गया है। निरन्तर सीखने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को स्वतन्त्र रूप से चिन्तन करने और निर्णय लेने के योग्य बनाती है। इसीलिये कहा गया है ''सा विद्या या विमुक्तये।'' शिक्षा मनुष्य के ज्ञान, अभिवृत्ति और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करती है और उसको समाजोपयोगी अर्न्तदृष्टि प्रदान कर लक्ष्य के प्रति क्रियाशील बनाये रखती है।

डा. एस. राधाकृष्णन ने लिखा है – ''शिक्षा को मनुष्य और समाज का कल्याण करना चाहिये। इस कार्य को किये बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है''। इसी प्रकार फ्रेंडसन ने भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। महात्मा गाँधी के अनुसार ''शिक्षा से अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है''। अतः किसी भी राष्ट्र के लिये नागरिकों को शिक्षित बनाना उसके लिए एक प्रकार से दीर्घकालिक निवेश की प्रक्रिया है। शिक्षित नागरिक कुशल मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान कर सकते हैं।

समाज को उच्च शिक्षण संस्थाओं से अधिक अपेक्षायें हैं। 1986 की नई शिक्षा नीति के अनुसार ''उच्चशिक्षा लोगों को जटिल सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को मानवीय रूप में सामने रखने का अवसर प्रदान करती है। यह विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। अतः हमारे लिये आवश्यक तत्व है।'' किन्तु इसी से सम्बद्ध यह पहलू भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि लम्बे समय तक उच्च शिक्षण संस्थायें अनौपचारिक व अन्य प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से अपने चारो ओर के समुदाय के विकास के लिये सचेत और सक्रिय नहीं रहीं हैं। इस सम्बन्ध में इन संस्थाओं की भूमिका प्रायः नगण्य रही है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का सरोकार प्रमुख रूप से अपने परम्परागत कार्य, शिक्षण तथा शोध से ही रहा है।

जब हम भारत में उच्चशिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम महाविद्यालयों की स्थापना हुई, तत्पश्चात् विश्वविद्यालय आये। जब 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तो उनका प्रमुख उद्देश्य महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण करना तथा उनके लिये परीक्षायें सम्पादित करना था। कुछ समय पश्चात् बीसवीं सदी के प्रारम्भ में इस विचार में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। 1947 तक आते–आते उच्चशिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या लगभग 2.5 लाख तक पहुँच गई जो कि 20 विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत थे। स्वाधीनता उपरान्त विश्वविद्यालयों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई और आज (2010–11) देश में 602 केन्द्रीय, डीम्ड, स्टेट, प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा आटोनॉमस संस्थान हैं । इन विश्वविद्यालयों, संस्थानों व महाविद्यालयों में लगभग 1.5 करोड़ छात्र–छात्रायें अध्ययन एवं शोधकार्यों में संलग्न हैं। जहाँ एक ओर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और इन संस्थाओं के संचालन में सरकार पर निरन्तर वित्तीय भार में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्त्री शोषण, बालश्रम तथा पर्यावरण और सामाजिक असुरक्षा आदि की समस्याओं के निराकरण में आशानुकूल सफलता नहीं मिल पा रही है। दस पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त भी अनेक क्षेत्रों में चुनौतियाँ यथावत् बनी हुई हैं। वर्ष 2011 में यू.एन. द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के अनुसार 187 देशों में भारत का 134 वां स्थान है। वर्तमान (2011) में विश्व के लगभग 80 करोड़ निरक्षरों में लगभग 30 करोड़ निरक्षर भारत में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो चुकी है। 2001 से 2011 के एक दशक में जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत रही। प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक की वृद्धि होती है। भारत सरकार वर्तमान (2010–2011) में शिक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 52060 करोड़ रू. व्यय कर रही है, जिसमें उच्च शिक्षा में प्रतिवर्ष अरबों रूपया व्यय किया जाता है किन्तु शिक्षा में व्यावहारिकता की कमी के कारण विगत एक दशक (2001–2011) में देश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी भी (2010–2011) देश में 4.8 मिलियन (18 प्रतिशत) से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं। वर्तमान में यह संख्या बढ़ी है। इस स्थिति को कदापि सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है। ऐसे में सर्वत्र यह आवश्यकता अनुभव की गई कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सीमाओं को समझते हुए तथा विफलताओं को स्वीकार कर शिक्षा में नये प्रतिमानों की खोज की जाये। विशेषरूप से 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिये उच्च शिक्षा की प्राथमिकतायें निर्धारित कर उसे जनकेन्द्रित और समाजोपयोगी बनाने के लिये अधिक व्यापक व व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जाये, जिससे कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 'विश्व के सन्दर्भ में सोचें और गाँव के आँगन में अमल करें'(Think Globally and Act Locally), की संकल्पना को साकार कर सकें और राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में प्रभावी भूमिका का निर्वाहन कर सकें। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक समझा गया कि छात्र–छात्राओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक और व्यावहारिक

निपुणता प्रदान करने के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने परम्परागत स्वरूप व भूमिका में परिवर्तन करना होगा तथा उसे अधिक व्यापक बनाना होगा। जूलियस नयरेर ने 1966 में जेनेवा में आयोजित सिम्पोजिया, 'तृतीय विश्व के विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका' के उद्घाटन भाषण में कहा था 'वास्तव में एक विकासशील समाज में विश्वविद्यालय को अपने कार्यों में राष्ट्र के नागरिकों की तात्कालिक समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए लोगों और मानवीय उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये।' सन् 1971 में एडगर फोर (पूर्व प्रधानमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, फ्रांस) की अध्यक्षता में 'यूनेस्को' की सामान्य परिषद द्वारा विश्व शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। सात सदस्यीय शिक्षा आयोग ने 22 विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन कर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षा का विस्तार होना चाहिये और उसमें व्यक्ति और समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य विविधता लानी चाहिये। विश्वविद्यालयों के प्रति परम्परागत दृष्टि बदलनी चाहिये। इन्ही सब विसंगतियों के कारण पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच, एवरेट रीमर, गुडमैन, जानहाल्ट तथा वकमैन जैसे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा वर्तमान शिक्षा एवं विद्यालय प्रणाली की असफलताओं को लेकर जो असन्तोष व प्रतिकार प्रकट किया गया उसके फलस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा को वर्तमान शिक्षा के साथ एक अंग के रूप में जोड़ने के प्रयास प्रारम्भ हुए। इसके अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, रिफ्रेशर कोर्सेस, प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, किसानों के लिये कार्यात्मक साक्षरता, दूरस्थ शिक्षा आदि गति विधियों को रखा गया।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा के माध्यम से प्रसार को शिक्षण और शोध के समकक्ष ही महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार 'प्रसार' से उच्च शिक्षा संस्थाओं में तृतीय आयाम के रूप में दो प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा की गई । प्रथम, विश्वविद्यालय अपने चारों ओर के समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, द्वितीय वह समान रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर प्रसार विषय के अन्तर्गत शिक्षण और शोध गतिविधियों को भी सम्पन्न बनाये। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति से पहले कुछ विश्वविद्यालय 1970 में भी सतत् शिक्षा के कार्यक्रम संचालित कर रहे थे, किन्तु विश्वविद्यालयों में तृतीय आयाम के रूप में प्रसार की विचारधारा का सूत्रपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1977 के नीतिगत कथन के द्वारा हुआ जिसमें प्रसार की आवश्यकता पर जोर देते हुए उसे उच्च शिक्षा के तृतीय दायित्व के रूप में रेखांकित किया गया और शिक्षण तथा शोध के समकक्ष ही महत्व प्रदान किया गया।

1978 में भारत सरकार द्वारा संचालित देशव्यापी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सर्वप्रथम 92 विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षकों और छात्र–छात्राओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन का अवसर मिला। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय समुदाय ने साक्षरता, सामाजिक

जागरूकता और व्यावसायिक कुशलता सम्बन्धी प्रसार गतिविधियों में हर प्रकार से संलग्न होने के अवसर प्राप्त किये। 1982 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी प्रसार सम्बन्धी नई निर्देशिका में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से समुदाय में जोड़ने वाले पाठ्यक्रमों को संचालित करने पर बल दिया। मई 1986 में अधिक से अधिक विश्वविद्यालयी छात्र–छात्राओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को प्रसार गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यात्मक साक्षरता जन अभियान (Mass Programme for Functional Literacy) प्रारम्भ किया गया। 1988 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्देशिका में भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रसार को शिक्षण और शोध के समकक्ष महत्व प्रदान करते हुए इसे इस प्रकार उद्धत किया गया है, 'यदि विश्वविद्यालयीय व्यवस्था को समस्त शिक्षा व्यवस्था और सम्पूर्ण समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन करना है तो उसे प्रसार को उच्च शिक्षा के तृतीय आयाम के रूप में सुनिश्चित कर उसे शिक्षण और शोध के समतुल्य मान्यता प्रदान करनी चाहिये। यह एक अत्यन्त नवीन और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे सर्वोच्य प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिये।' प्रसार के महत्व को समझते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के 103 विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार (विस्तार) विभाग/केन्द्रों की स्थापना की गई और लगभग 2600 से अधिक महाविद्यालयों में इनकी ईकाइयां प्रारम्भ की गई। उच्चशिक्षा में प्रसार को समुदाय से जोड़ने वाली कड़ी व केन्द्रीय अभिकरण (Focal Agency) के रूप में चिन्हित किया गया। प्रारम्भ में प्रसार का प्रयोग कृषि क्षेत्रों में हुआ। तत्पश्चात् सभी क्षेत्रों में प्रसार के महत्व को स्वीकारते हुए उसे प्रसार शिक्षा और प्रसार कार्यों के रूप में अपनाया जाने लगा। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने सेवा मन्दिर व राजस्थान विद्यापीठ में सहायता प्रदान कर प्रसार का रास्ता दिखलाया। कालान्तर में भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रसार को तृतीय आयाम (Third Dimension) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थायें प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग, जीवन पर्यन्त शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के माध्यम से साक्षरता, उत्तरसाक्षरता, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विधिक साक्षरता, महिला सशक्तीकरण एवं विकास शिक्षा, ग्रामीण विकास शिक्षा, मानव अधिकार शिक्षा, जनसामान्य के लिये विज्ञान, कॅरियर कॉउन्सिलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेवा तथा विभिन्न व्यावसायिक व कौशल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं।

उच्च शिक्षा में प्रसार आयाम से तात्पर्य उच्चशिक्षा संस्थाओं द्वारा शिक्षण व शोध द्वारा अर्जित विविध ज्ञान और कौशल को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा समुदाय तक विस्तारित करना अथवा पहुँचाना है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से समस्त विश्व में हो रहे तकनीकी विकास एवं शोध कार्यों की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने तथा अपनी त्रुटियों को सुधारने के अवसर प्राप्त होते हैं। एस.के. वागमेयर के अनुसार 'प्रसार शिक्षा विद्यालयीय सीमाओं के बाहर एक ऐसी प्रक्रिया

है जो समुदाय के लोगों को उनकी वर्तमान और भावी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करती हैं।'

उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रसार को शिक्षण और शोध के समकक्ष मान्यता प्रदान करने के पीछे द्विपक्षीय लाभ की संकल्पना रही है। जहाँ एक ओर उच्च शिक्षण संस्थाओं को सामुदायिक विकास के प्रति उत्तरदायी बनाना, सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु नियोजित विकास में नेतृत्व प्रदान करना तथा उच्चशिक्षा के ज्ञान, मानवशक्ति तथा भौतिक संसाधनों का व्यापक उपयोग करने का मन्तव्य रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वयंम् विश्वविद्यालयों को भी समाज के मध्य घनिष्ट अन्तःक्रिया व व्यावहारिक अनुभवों द्वारा उनमें शिक्षण और शोध कार्यों को अधिक संसाधन युक्त व सम्पन्न बनाना रहा है। इन उद्देश्यों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु देश के 102 विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभागों/केन्द्रों तथा 13 नोडल एजेन्सियों की स्थापना 'प्रसार' आयाम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में की गई जिससे कि वे प्रसार कार्यों के सम्पादन हेतु मार्गदर्शन, संसाधन और अन्य सुविधायें दे सकें। वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों द्वारा सामुदायिक स्तर पर प्रसार गति–विधियों के साथ–साथ प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा व सतत् शिक्षा, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री व डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किये जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि तीव्रता से बदलते परिवेश में तथा प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्चशिक्षा में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को भावी चुनौतियों के सन्दर्भ में सक्षम बनाने के लिये 'प्रसार' आयाम को सम्पन्न और प्रभावी बनाने के प्रयास किये जायें। उच्च शिक्षा में अन्तरविद्यावर्ती उपागम के चलते यह अत्यधिक प्रासंगिंक भी है, किन्तु विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित परम्परागत व औपचारिक पाठ्यक्रमों के साथ प्रसार आयाम को स्थापित करने और सफल बनाने के लिये अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था में तृतीय आयाम के रूप में 'प्रसार' को प्रोन्नत करने तथा उसके नवीनीकरण के लिये निम्न प्रयास किये जाने चाहिएः

(1) प्रसार की संकल्पना, उद्देश्यों और तकनीकियों की सही जानकारी और विस्तार हेतु संस्थागत स्तर पर प्रभावी कार्यक्रमों (संगोष्ठी, परिचर्चा, सम्मेलन व प्रशिक्षणों) का आयोजन करना।

(2) प्रसार नियोजन और क्रियान्वयन में उच्च शिक्षण संस्थाओं और समुदाय की समान भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे पारम्परिक अनुभवों और नवीनतम ज्ञान का व्यक्ति और समाज के हित में समुचित उपयोग किया जा सके।

(3) प्रसार गतिविधियों को बहु–विषयी, बहु–आयामी और लाभार्थी मूलक बनाया जाय।

(4) संकाय एवं विषय विभाग/अध्यापकों, छात्र–छात्राओं को प्रसार गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करना तथा प्रतिभाग करने वाले कर्मियों का यथोचित सम्मान करना।

(5) प्रसार को सुदृढ़ करने के लिये प्रासंगिक प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार।

(6) जहाँ कहीं सम्भव हो, प्रसार को पाठ्यक्रमों व पाठ्यचर्या के भाग के रूप में सम्मिलित करना।

(7) व्यावसायिक और रोजगार परक पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) को मात्र निजी आर्थिक विकास और अभिजात्य वर्ग के हितों की पूर्ति का साधन न बनाकर सामुदायिक विकास का माध्यम बनाना।

(8) कार्यक्रमों के लाभदायक और गुणात्मक संगठन के लिये औद्योगिक, वित्तीय व वाणिज्य संस्थाओं, सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी सम्पर्क विकसित करना।

(9) दूरस्थ शिक्षण अधिगम् माध्यमों और पद्धतियों का विकास और उपयोग करना।

(10) स्वशिक्षण शिक्षण अधिगम् पैकेजों का निर्माण करना।

(11) ज्ञान और सूचना के सम्प्रेषण और विस्तारण हेतु आधुनिक संचार तकनीकि संसाधनों का उपयोग करना।

(12) आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु आधुनिक सेवाओं का उपयोग करना।

(13) प्रसार गतिविधियों के समुचित मूल्यांकन हेतु मानवीय/मूल्यांकनीय मानदण्ड विकसित करना और उन्हें अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाना।

(14) सभी विषयों में प्रसार से सम्बन्धित शोध को प्रोत्साहन देना।

(15) प्रसार गतिविधियों में नये ज्ञान और अनुभवों का प्रलेखन करना ताकि नये मॉडलों की पहचान हो सके।

कोठारी आयोग (1964–66) ने उच्च शिक्षा में प्रसार के महत्व को अनुभव करते हुए स्पष्ट रूप में कहा, 'विश्वविद्यालय में केवल निणात विद्वतजनों द्वारा शोध करना तथा अपने प्रतिरूप तैयार करना भूतकाल की बात हो गई है, क्योंकि अभी तक समाज और विश्वविद्यालय के मध्य जो ऊँची दीवार खड़ी हो गई थी उसको समाप्त करके दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना समय की माँग है।'

अतः किसी भी शैक्षणिक संस्था को समुदाय से पृथक होने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये ताकि शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण और आवश्यकतामूलक बनाया जा सके। यदि शैक्षणिक संस्थायें समाज के प्रति उत्तरदायी हैं और अपने दायरे में प्रसार–संस्कृति विकसित करती हैं तो वे सतत् और दीर्घकालिक अस्तित्व बनाये रख सकती हैं। इस प्रकार की भूमिका से जहाँ एक ओर समाज में इन संस्थाओं की सकारात्मक छवि निर्मित होती है वहीं दूसरी ओर

विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा के परम्परागत कार्यों (शिक्षण और शोध) से जुड़े बौद्धिक वर्ग (शिक्षक, शोधार्थी और छात्रों) को यह समझने की आवश्यकता है कि 'प्रसार' मात्र 'सेवा' नहीं है । यह उच्च शिक्षा और समुदाय के साझे अनुभवों और प्रयासों द्वारा निरन्तर आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर ले जाने वाली बहुमूल्य शिक्षण–अधिगम् (सीखने–सिखाने की) प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से उच्च शिक्षण संस्थाओं और समाज की दूरियाँ मिटती हैं और अलगाव कम होता है।

भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/71 है। भारत की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है ।

संदर्भ

(1) जॉर्ज, एम.के., सूर्य मूर्ति, आर., 1987, एक्स्टेन्शन इन हायर एजूकेशनः इवाल्विग न्यू माइल्स, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.–2

(2) सूपे, एस.वी., 1992, 'एन इन्ट्रोडक्शन टु एक्स्टेन्शन एजूकेशन' ऑक्सफोर्ड आई.पी. एच.के. प्राह.लि,पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 6–7

(3) पंकजन, जी., 2002, 'एक्स्टेन्शन–थर्ड डायमेन्शन ऑफ एजुकेशन', ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पृ.–11

(4) लक्षमनन्, एस., 2003, 'एक्स्टेन्शन प्रोग्राम इन आटोनामस कालेजेजः थ्योरी एण्ड प्राब्लम्स', यूनिवर्सिटी न्यूज, 41 (23) एसोसिएश्न ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, पृ 7–8

(5) पिल्ले, बी.एन. राजेशेखरन, 2003, 'सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षा,' उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगाँव के 11वें दीक्षान्त समारोह में भाषण, यूनिवर्सिटी न्यूज, 41 (27) एसोशिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली, पृ.–10

(6) जॉर्ज, एम.के. व सूर्यमूर्ति आर., 'एक्स्टेंशन इन हायर एजूकेशनः इवल्विग न्यू मॉइल्स, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

(7) रावत, एस.एस., 2006, 'उच्च शिक्षा में प्रसार का महत्व,' नवसंदेश, रोटरी क्लब, श्रीनगर गढ़वाल, पृ. 14–15

आधुनिक भारतीय समाज में अवरोधित महिला शिक्षा

भारती जोशी

आधुनिक भारतीय समाज में महिला आधी दुनिया की सीमा में बन्धक है। सदियाँ बीत गयीं। पर समाज महिला को **'आधी दुनिया'** से निकाल कर पूरी दुनिया में नहीं ला पाया है। महिला सामर्थ और संघर्ष के मामले में पुरुष से कहीं कम नहीं है। समाज में महिला ने अपना वजूद स्वयं के बलबूते पर ही बनाया है। फिर भी महिला को कमजोर, निर्बल मानना पारंपरिक दकियानूसी सोच है। हमारे देश में महिला शिक्षा की राह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से अवरोधित है। विडम्बना है कि हमारा देश आधुनिक कहलाने के बाद भी महिलाओं के प्रति रूढ़िग्रस्त है। यहाँ बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा भी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कितनी बाधाएं व्याप्त है यह सहज ही कल्पना की जा सकती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लड़कियाँ विभिन्न परिक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। यदि देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय खोले जाएं तो लड़कियाँ अपने में निहित प्रतिभा को निखार सकती है और आधुनिक भारतीय समाज महिला शक्ति की अतुलनीय बौद्धिक क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाकर विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो सकता है।

महिलाएं हमारे समाज के लगभग आधे हिस्से का निर्माण करती हैं । यदि महिलाएं सबल होती हैं तो आधी दुनिया अवश्य ही परिवर्तित होगी । किसी भी विकसित समुदाय के निर्माण में महिला एवं पुरुष दोनों की सहभागिता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित भारत की केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं कानूनी योजनाएं बना रही हैं और क्रियान्वित भी कर रही है, फिर भी मूल प्रश्न यह है कि भारतीय समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है ? आधुनिक भारत में महिलाएं ने अपने गुण और शिक्षा के दम पर ही बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, वकील और इंजीनियर जैसे पदों को सुशोभित कर रही हैं। इसके बावजूद महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी तेजी से बदलती दुनिया में जागरूकता के अभाव में अपनी पहचान साबित करने में असफल रहा है। प्रारंभ से ही समाज शिक्षा को हर समस्या की दवा के रूप में उल्लेखित करता आया है। लेकिन महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने में व्याप्त शैक्षणिक बाधाओं को दूर करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने होंगे।

प्राचीन वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था आश्रमों और गुरूकुल में होती थी। शिक्षा का अधिकार महिलाओं को मिला जरूर था लेकिन बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था घर में ही होती थी। आश्रम और गुरूकुल में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं के उदाहरण नगण्य ही हैं। बौद्धकाल में शिक्षा व्यवस्था मठों और विहारों में होती थी जो बस्तियों के पास स्थापित होते थे। इनमें प्राथमिक से लेकर उच्च, दोनों स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी। मठ और विहार में छात्राओं के लिए अलग छात्रावास का निर्माण होता था। महिला शिक्षा के लिए यह स्वर्णकाल था। मुगलकाल में महिला शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी। बौद्धशिक्षा केन्द्र भी मुगल आक्रमण के शिकार हुए। इससे महिला शिक्षा अवरोधित हो गयी। यद्यपि अकबर के शासन काल में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।

वैदिक काल से लेकर आज तक महिला शिक्षा का महत्व कम नहीं हुआ है लेकिन उसकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। आज के युग में महिला शिक्षा का अत्यधिक महत्व है फिर भी हमारे देश में महिला शिक्षा एवं जागरूकता का बेहद अभाव है जिसके कारण वे लगातार हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही हैं। शिक्षा के बिना न तो महिला जागरूक हो सकती है और न ही सशक्त। महानगरों की महिलाओं को देखकर यह समझे कि वे शिक्षित है, सशक्त है तो यह धारणा एकदम गलत है। दूरदराज ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की स्थिति बदतर है और इसका एक ही कारण है शिक्षा एवं जागरूकता की कमी या सुविधाओं का अभाव। वर्तमान में पूरे देश में बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है फिर भी बहुत सी बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पाती हैं। जो बालिकाएं विद्यालय जाती हैं वे भी प्राथमिक या माध्यमिक तक की शिक्षा ही प्राप्त कर पाती हैं। उच्च शिक्षा से उन्हें भी वंचित रहना पड़ता है। इसका कारण या तो उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं का अभाव है या सामाजिक संरचना के कारण स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्कूल के साथ साथ उन पर घर के कामों का बोझ लाद दिया जाता है। इस तरह से आधी आबादी के हिस्से में शिक्षा पूरी नहीं है। ऐसे में देश का वास्तविक विकास कैसे हो सकता है?

महिला शिक्षा क्यों ?

महिला शिक्षा का महत्व इसी आशय में निहित है कि इसके बिना न तो हमारा समाज प्रगति कर सकता है और न ही देश। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के असली भारत में लड़कियों की उच्च शिक्षा आज भी ग्रामीण एवं दूरदराज इलाकों में एक सपना साबित हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की मात्र 7 प्रतिशत लड़कियां ही विश्वविद्यालय में दाखिला ले पाती हैं। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा निम्नांकित कारणों से आवश्यक है–

1. स्वस्थ्य एवं सकारात्मक सामाजिक संरचना के लिए महिला शिक्षा आवश्यक है। समाज में एक ऐसी स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो समानता पर आधारित हो। जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखें। दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अहं भावना से ऊपर उठ कर पारस्परिक सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर राष्ट्र के विकास में योगदान दें।
2. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज में सम्मानित स्थान हासिल करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार बनकर आत्मनिर्भरता अर्जित कर सकती हैं। एक शिक्षित महिला ही उत्पादन में सहभागी हो सकती है।
3. समुचित शिक्षा की व्यवस्था किसी भी बालिका के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे आधुनिक व्यावसायिक तथा तकनीकी कौशल को अर्जित कर लोकतांत्रिक एवं समतामूलक समाज के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे सकें।
4. समाजिक परिवर्तन की पहली शर्त शिक्षा ही है। महिलाओं को कानूनी अधिकार देने से वे समानाधिकार का उपभोग करने में सक्षम नहीं होती है। बुद्धि, विवेक तथा तर्क के आधार पर दकियानूसी परम्पराओं को त्यागकर उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना पहली आवश्यकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला पुरूष को समान प्रयास करने होंगे।
5. महिलाओं में अशिक्षा के कारण ही आज समाज में अपराधों की संख्या बढ़ी है। दहेज उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि का प्रमुख कारण अशिक्षा ही है। आज की पढ़ी लिखी युवतियाँ जागरूक हैं। प्रेमविवाह, दहेज जैसी समस्या को रोक सकता है। महिला शिक्षा के प्रसार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं। घरेलू एवं वैवाहिक हिंसा के खिलाफ आवाज शिक्षित लड़कियां ही उठा सकती हैं।
6. अशिक्षा के कारण महिलाएं आसानी से यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं। आर्थिक रूप से मजबूर, विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित महिलाएं यौन उत्पीड़ित हो सकती हैं। अशिक्षा के कारण ही देवदासी प्रथा आज भी दक्षिण भारत कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा जैसे राज्यों में व्याप्त है।
7. अशिक्षा के कारण आज महिलाएं विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गयी हैं। महिला सशक्तीकरण के अधिकतर कार्यक्रम हमारे देश में असफल हो गये हैं। महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण वे जागरूक नहीं हैं फलस्वरूप उनके हित के लिए क्रियान्वित योजनाओं का लाभ भी वे नहीं उठा पाती हैं।

महिला शिक्षा कैसे ?

भारतीय संविधान में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं से संबंधित अधिकार और प्रावधान दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं अन्य सामान्य प्रावधानों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि वे शिक्षा की दौड़ में भागीदार बन सकें। महिला शिक्षा कैसे प्रसारित हो इस हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. महिला शिक्षा को राष्ट्र की एक प्रमुख आवश्यकता माना जाए न की समस्या। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार एक साथ किया जाए ताकि समाज में एक प्रेरणात्मक माहौल तैयार हो सके।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के साथ भेदभाव के कारण भारत सहित एशिया प्रशांत देशों को सालाना 80 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इसीलिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। पालकों को बालिका शिक्षा के लिए अभिप्रेरित किया जाए। अक्षर ज्ञान व्यावसायिक कौशल आधारित हो। किसी भी स्तर पर महिला पुरुष की शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाए। बालिकाओं के लिए छात्रावास तथा यातायात की समुचित व्यवस्था की जाए। भारत में लोकतांत्रिक विकास के लिए बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण है प्रत्येक स्तर पर इसका एहसास होना आवश्यक है।
3. ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त सम्मान तथा लाभ सरकार की ओर से दिए जाएं तभी अध्यापक अधिक रुचि से शिक्षा प्रसार में दिलचस्पी लेंगे।
4. भारत के शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि उच्च शिक्षा में मातृभाषाओं को ही शिक्षण का माध्यम बना देना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि महिलाएं शिक्षा की ओर आकृष्ट होगी एवं अपने स्वयं की अनुभूतियों को आसानी से व्यक्त करने में सहज होंगी।
5. महिला शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए महिलाओं की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्यगत समस्याओं का गहन अध्ययन कर महिला शिक्षा नीति बनाई जाए, जहाँ महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं विकास के अन्य कार्यक्रम साथ साथ चलाए चलाए जाए।।
6. महिलाओं के सशक्तीकरण और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं में आम आदमी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। आज भी जनता सरकारी कार्यक्रमों के प्रति उदासीन है क्योंकि इनके बीच शिक्षा का अभाव है। जनहित के कायक्रमों में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि

प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। उनके लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

7. महिला शिक्षा के प्रसार में संचार माध्यम अनूठी भूमिका अदा कर सकते हैं। इन माध्यमों में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका उभारना चाहिए। इनमें महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, समाजसेविका, अध्यापिका की भूमिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं इन भूमिकाओं को अपना रोल मॉडल बना सकें।

8. महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धी में श्री अण्णा हजारे ने एक ऐसा विलक्षण विद्यालय प्रारंभ किया है जहाँ असफल छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस विद्यालय में छात्रों के मन से असफलता की हीन भावना निकाल कर उनमें विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास जगाया जाता है। फलस्वरूप यहाँ से हजारों ऐसे विद्यार्थी निकले है जो आज समाज में अपनी प्रतिभा और उच्च नैतिक आदर्शो को आत्मसात करते हुए समाज के विकास में भरपूर योगदान दे रहे हैं। इस तरह के विद्यालय छात्राओं के लिए भी हर जगह बनाने की जरूरत है । क्योंकि महिलाएं स्वभाव से अत्यधिक संवेदनशील होती है और किसी भी तरह की असफलता उनमें अपेक्षाकृत जल्दी ही हीनभावना पनपा सकती है। अण्णा स्कूल से बालिकाएं अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकती हैं।

महिला शिक्षा के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनती है और क्रियान्वित भी होती है लेकिन इससे पहले समाज में महिलाओं के लिए एक स्वस्थ्य और सुरक्षित माहौल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। तभी महिलाएं स्वयं अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए आशंकित हुए बिना शिक्षा ग्रहण कर अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकेंगी।

संदर्भ

1. भारतीय महिलाएं : एक सामाजिक अध्ययन – डॉ. निशांत सिंह (2009) ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

2. इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तीकरण – मिथक एवं यथार्थ – डॉ. वीरेन्द्रसिंह यादव (2010) ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के बढ़ते कदम

प्रतिभा ज्योति

सच्चर समिति की सिफारिशों पर अमल की केन्द्र सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक तौर पर आगे लाने की कवायद का असर भी जमीनी स्तर पर दिखने लगा है और अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आगे लाने की सरकार की कोशिशों का नतीजा यह रहा है कि केवल छात्र ही नहीं, बल्कि छात्राएं भी इन योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रही हैं। कड़ी मेहनत करके केवल अच्छे अंक पाने में ही नहीं, बल्कि वजीफा पाने में भी लड़कियों ने बाजी मार ली है और वह हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। उच्च शिक्षा के प्रति लड़कियों में बढ़ती ललक के चलते अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले 51 फीसदी वजीफा हासिल किया है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय के ताजा आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मैट्रिक के बाद छात्रवृति योजना के तहत 2010–11 में कुल 5 लाख 25 हजार छात्रवृतियां बांटी गईं जिनमें 15 फीसदी लड़कियां हैं। इस साल के लिए मंत्रालय ने चार लाख छात्रवृतियां बांटने का लक्ष्य रखा था जो कि सवा लाख ज्यादा हो गया। छात्रवृति पाने वाले छात्रों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मंत्रालय ने 2011–12 के लिए साढ़े चार लाख छात्रवृति बांटने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के दिशा निर्देशों के तहत 30 फीसदी छात्रवृति लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

इसी तरह मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना में 44.21 लाख छात्रवृतियां बांटी गईं और इसमें भी 48 फीसदी से ज्यादा लड़किया हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखकर कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को उचित अवसर दिए जाएं तो उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी हद तक बदलाव लाया जा सकता है। इसी विचार पर अमल करते हुए मंत्रालय ने योजना की सफलता से खुश होकर 2011–12 के लिए 27 लाख वजीफे देने का लक्ष्य रखा है। यह छात्रवृति योजना अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में शामिल हैं। मंत्रालय ने मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद की छात्रवृति योजनाओं में अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है।

इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रतिभा और साधन, छात्रवृति योजना, अल्पसंख्यक वर्ग के उन छात्रों को दी जाती है, जो तकनीकि या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में

शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना 2007–08 में शुरू की गई थी। 31 मार्च 2011 तक कुल एक लाख 20 हजार 491 छात्र इसका फायदा उठा चुके हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान ही केवल 41 हजार छात्रवृतियां दी गईं जिनमें 34.29 फीसदी छात्राएं थीं। मंत्रालय ने इस साल का लक्ष्य रखा है कि 20 हजार नई छात्रवृतियां प्रदान की जाए।

वहीं मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी अल्पसंख्यक छात्राओं की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। फाउंडेशन ने अपनी मेधावी बालिका छात्रवृति योजना के तहत 2010–11 के दौरान 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं के लिए 17 हजार 326 छात्रवृतियां दी। इस पर 20.79 करोड़ रूपये खर्च किए गए। इस योजना की शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2011 तक 59 हजार 303 छात्राओं को वजीफा दिया गया। फाउंडेशन ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2011–12 में 20 हजार छात्राओं को इसका फायदा मिल सके।

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के समेकित विकास के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एम. फिल और पीएचडी करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर साल 252 छात्रों को यहाँ फेलोशिप दी जाएगी। इसमें 30 प्रतिशत फेलोशिप लड़कियों को दी जाएगी। इस योजना के तहत एम फिल और पीएचडी करने वाले छात्रों को क्रमशः दो तथा पाँच साल के लिए यह फेलोशिप दी जाएगी। जूनियर रिचर्स फेलो के लिए विज्ञान, कला एवं समाज विज्ञान तथा वाणिज्य में फेलोशिप 12 हजार रूपये की होगी जबकि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए चौदह हजार रूपये होगी। विज्ञान के छात्रों के लिए यह निधि शुरू के दो वर्षों के लिए 12 हजार और शेष वर्षों के लिए 25 हजार रूपये होगी। इसके अलावा तीन हजार रूपये की विभागीय मदद एवं शारीरिक रूप से विकलांग एवं नेत्रहीन छात्रों के लिए 2000 रूपयों की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह फेलोशिप यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय पर लागू होगी।

केवल योजनाओं को चलाने में ही नहीं, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए लागू वजीफा योजना में छात्रों को हो रही परेशानियों की ओर भी सरकार का ध्यान गया है। कई अल्पसंख्यक संगठनों ने सरकार से शिकायत की है कि छात्रों को फार्म भरने में परेशानी हो रही है। छात्रवृति मिलने में देरी और बैंकों द्वारा छात्रों का खाता खोलने में हो रहे टाल मटोल की शिकयतें भी की गई हैं। इन शिकयतों को देखते हुए मंत्रालय ने प्राथमिकता के तौर पर इसके निवारण की ओर ध्यान दिया है। इसके तहत प्रतिभा आधारित छात्रवृति योजना के लिए ऑनलाइन प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। नए और दोबारा आवेदन करने वाले छात्रों के लिए समयसीमा भी बढ़ाई गई है और इसकी निगरानी भी सख्त कर दी गई है। पहले से चल रही

मंत्रालय की योजनाओं को योजना आयोग के सामने रखा गया है ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे चलाया जा सके। इतनी सफलताओं के बाद भी सरकार के सामने यह चुनौती बनी रहेगी कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं के उन्नति की राह में आने वाली बाधाओं की पहचान करके उनमें कौशल विकस करे। खासतौर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार कर शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें और आगे ले जाने की ओर खास ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्हें सूचना–तकनीक के क्षेत्र में और समृद्व बनाना जरूरी है।

सबसे बड़ा रिश्ता

रूस में एक मेजर सड़क किनारे खड़ा शराब पी रहा था तभी एक व्यक्ति आया, जो वेशभूषा से देहाती लगता था। उसने मेजर से एक स्थान विशेष का पता पूछा। इससे मेजर के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने सोचा कि आखिर एक साधारण आदमी की हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की। मेजर ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली से उस स्थान का पता बता दिया। लेकिन वह व्यक्ति वहां से हिला तक नहीं। इससे मेजर का क्रोध भड़क गया। उसने कहा, अब जाते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, जाता हूं। पर एक जिज्ञासा शांत करनी है। क्या जान सकता हूं कि आप किस पद पर कार्यरत हैं? मेजर शरारती हंसी हंसते हुए बोला, तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। उस देहाती ने कहा, जरूर कैप्टन होंगे। मेजर ने इनकार में सिर हिलाया। इस पर देहाती ने कहा, तब आप लेफ्टिनेंट होंगे। एक बार फिर मेजर ने उसी तरह सिर हिलाया। देहाती बोला, तब आप मेजर होंगे। इस पर मेजर खुश होकर बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। उस देहाती ने उसे सलाम ठोका तो मेजर को संतोष हुआ। अब उस देहाती ने उससे पूछा, और आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूं?

मेजर ने उसे हिकारत से देखते हुए कहा, तुम गांव के चौकीदार वगैरह होगे। इस बार देहाती ने मेजर की तरह ही सिर हिलाया। तब मेजर ने कहा, सिपाही हो क्या? देहाती बोला, उससे ऊपर? मेजर ने आश्चर्य से पूछा, कैप्टन? देहाती ने कहा, उससे भी ऊपर। इसी तरह बात जनरल तक आ गई। देहाती ने कहा, मैं जनरल से भी ऊपर हूं। मैं यहां का राजा हूं। अचानक मेजर का नशा टूटा। उसने सम्राट को पहचानकर उन्हें सलामी दी। सम्राट ने समझाया, मेजर का पद पाकर तुम भूल गए कि पहले तुम एक मनुष्य हो। मैं भी एक मनुष्य हूं। कोई किसी भी पद पर क्यों न हो, मनुष्यता का रिश्ता सबसे बड़ा है।

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता और संकाय के प्रभाव का अध्ययन

अर्चना दुबे
महेन्द्र पाटीदार

भाषा मनुष्य के मुख से उच्चरित होती है। यह एक साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। ये ध्वनि प्रतीक रूढ़ होते हैं अर्थात इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है और ये अपने मूल अर्थ में ही बने रहते हैं। इन ध्वनि प्रतीकों में एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से एक ओर वक्ता या लेखक अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, दूसरी ओर श्रोता या पाठक इन्हें सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है।

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसकी लिपि देवनागरी है। यह भारतीय आर्य भाषा–परिवार की भाषा है। वैदिक संस्कृत से भाषा की जो धारा प्रवाहित हुई थी, वह लौकिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि सोपानों को पार करती हुई हिन्दी के रूप में भारत की संपर्क भाषा बन गई है। यह हमारे जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, ज्ञान–विज्ञान और उच्च कोटि के साहित्य का आधार है। फिर भी प्रायः यह देखा गया है कि महाविद्यालयीन विद्यार्थी हिन्दी लेखन में कई प्रकार की वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ किया करते हैं । इसमें विसर्ग की अशुद्धियाँ, रेफ की अशुद्धियाँ, ज्ञ तथा ग्या की अशुद्धियाँ, ण और न की अशुद्धियाँ, छ और क्ष की अशुद्धियाँ, ब और व की अशुद्धियाँ, ष, श और स की अशुद्धियाँ, वर्ण की अशुद्धियाँ, प्रत्यय की अशुद्धियाँ, लिंग की अशुद्धियाँ, हलन्त की अशुद्धियाँ, चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ मुख्य हैं। प्रायः स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। बी. एड. के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापक बन कर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं। यदि कोई अध्यापक ही अपने लेखन में अशुद्धियाँ करेगा तो विद्यार्थी तो निश्चय ही करेगा क्योंकि माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी किशोरावस्था के होने के कारण अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं।

शोधार्थी के द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गयी कि शिक्षण माध्यम वार अंग्रेजी एवं हिन्दी, शैक्षणिक योग्यता वार स्नातक या स्नातकोत्तर तथा संकाय वार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला में से कौन ज्यादा अशुद्धियाँ करते हैं, यह ज्ञात होना चाहिए। इस विषय में शोध के

नितान्त आवश्यकता को देखते हुए तथा अभी तक इस दिशा में शोध न होने के कारण शोधार्थी ने "बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता और संकाय के प्रभाव का अध्ययन" वर्तमान में शोध के लिए चयनित किया।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य थे–

1. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों का अध्ययन करना, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।

2. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, संकाय एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों का अध्ययन करना, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएं थी–

1 बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।
2 बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, संकाय एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है , जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए जनसंख्या मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर के बी. एड. प्रशिक्षणार्थी थे। इस जनसंख्या में से हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता के अध्ययन हेतु शिक्षा अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, (म.प्र.) के सत्र 2010–11 के 131 बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों को उद्देश्यपरक न्यादर्श विधि द्वारा चयनित किया गया था। शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों माध्यम के बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया था जिनकी

उम्र 21 वर्ष से 38 वर्ष के मध्य थी। इनमें विविध संकाय जैसे– विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के बी. एड. प्रशिक्षणार्थी थे। साथ ही साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों प्रकार के प्रशिक्षणार्थी भी थे।

उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की वर्तनीगत शुद्धता के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा वर्तनीगत शुद्धता परीक्षण का निर्माण किया गया था जिसमें वर्तनीगत शुद्धता से संबंधित 40 बहु वैकल्पिक प्रश्न थे। इसमें ण और न की अशुद्धियाँ, छ और क्ष की अशुद्धियाँ, ब और व की अशुद्धियाँ, ष, श और स की अशुद्धियाँ, वर्ण की अशुद्धियाँ, प्रत्यय की अशुद्धियाँ, लिंग की अशुद्धियाँ, हलन्त की अशुद्धियाँ, चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ आदि से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया था।

प्रदत संकलन

सबसे पहले वर्तनीगत शुद्धता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तनीगत शुद्धता परीक्षण का निर्माण किया गया। इसके पश्चात् शिक्षा अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के विभागाध्यक्ष से शोध कार्य हेतु अनुमति ली गई। तत्पश्चात् बी. एड प्रक्षिणार्थियों को शोध का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। न्यादर्श हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को वर्तनीगत शुद्धता परीक्षण दिया गया। अन्त में सभी प्रशिक्षणार्थियों से उत्तर पत्रक प्राप्त कर मानक उत्तर तालिका से मिलान कर अंक प्रदान किए गए। इस प्रकार प्रदत संकलन कर लिए गए। फिर उपयुक्त सांख्यिकी तकनीकी की सहायता से प्रदत का विश्लेषण कर लिया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु निम्न सांख्यकीय तकनीक का उपयोग किया गया–

1. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो के लिए द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (एनकोवा) का उपयोग किया गया।

2. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, संकाय एवं इनमें अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि

वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो, के लिए द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (एनकोवा) का उपयोग किया गया।

परिणाम तथा विवेचना

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य के अनुसार प्रदत्त विश्लेषण, प्राप्त परिणाम एवं उनकी विवेचना निम्न है–

प्रस्तुत शोध का पहला उद्देश्य था– बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता एवं इनकी अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों का अध्ययन करना जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो। यहाँ स्वतंत्र चर शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षण माध्यम है, शैक्षणिक योग्यता के दो स्तर स्नातक एवं स्नातकोत्तर हैं तथा शिक्षण माध्यम के भी दो स्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी हैं। आश्रित चर वर्तनीगत शुद्धता है तथा वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। इस उद्देश्य से संबंधित प्रदत्त का विश्लेषण द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (एनकोवा) द्वारा किया गया। प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका 1.1 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 1.1: हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता के संदर्भ में द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेशण के 2×2 कारकीय अभिकल्प का सारांश जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है।

विचरण के स्त्रोत	df	SSyx	MSSyx	Fyx
शिक्षण माध्यम	1	12.675	12.675	.569
शैक्षणिक योग्यता	1	29.834	29.834	1.339
शिक्षण माध्यम ×शैक्षणिक योग्यता	1	1.820	1.820	.082
त्रुटि	125	2784.227	22.274	
योग	128	98463		

तालिका से ज्ञात होता है कि शिक्षण माध्यम के लिए समायोजित f का मान **.569** जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि 1/125 है। अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी के बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना 'बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम का कोई सार्थक

अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो' निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता शिक्षण माध्यम से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि जब प्रशिक्षणार्थी विद्यालय स्तर पर अध्ययन कि प्रक्रिया से गुजरे होगें तब अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों पर बराबर रूप से ध्यान दिया गया होगा। साथ ही साथ इन दोनों समूह के प्रशिक्षणार्थियों को वर्तनीगत नियमों से परिचित कराया गया होगा। ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षकों ने इन विद्यार्थियों पर समान ध्यान दिया होगा। इस कारण शिक्षण माध्यम का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

तालिका से ज्ञात होता है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए समायोजित f का मान 1.339 जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 1/125 है। अर्थात् स्नातक एवं स्नातकोत्तर माध्यम के बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना "बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शैक्षणिक योग्यता के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो ,निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता शैक्षणिक योग्यता से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि सभी प्रशिक्षणार्थी परिपक्व हो चुके होते हैं या यह कहें कि प्रौढ़ होने के कारण इनमें जागरूकता आ जाती है। साथ ही साथ इन दोनों समूह के प्रशिक्षणार्थी स्वालंबी हो जाते हैं। इस कारण शैक्षणिक योग्यता का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

तालिका से ज्ञात होता है कि शिक्षण माध्यम एवं शैक्षणिक योग्यता की अंतर्क्रिया के लिए समायोजित f का मान **.082** जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 1/125 है। अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया का बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसपक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम एवं शैक्षणिक योग्यता की अंतर्क्रिया के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो, निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक

माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रशिक्षणार्थी हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर बराबर जागरूक होते हैं। प्रायः सभी विद्यार्थियों को वर्तनीगत नियमों का ज्ञान था। इस कारण शिक्षण माध्यम एवं शैक्षणिक योग्यता की अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

प्रस्तुत शोध का दूसरा उद्देश्य था– बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण माध्यम, संकाय एवं इनकी अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर माध्य फंलाकों का अध्ययन करना जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो। यहाँ स्वतंत्र चर शिक्षण माध्यम एवं संकाय है, संकाय के तीन स्तर विज्ञान, वाणिज्य एवं कला है तथा शिक्षण माध्यम के भी दो स्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी है। आश्रित चर वर्तनीगत शुद्धता है एवं वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। इस उद्देश्य से संबंधित प्रदत्त का विश्लेषण द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (एनकोवा) द्वारा किया गया। प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका 1.2 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 1.2 : हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता के संदर्भ में द्विमार्गीय सहप्रसरण विश्लेशषण के 2×3 कारकीय अभिकल्प का सारांश जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है।

विचरण के स्रोत	df	SSyx	MSSyx	Fyx
शिक्षण माध्यम	1	20.256	20.256	.885
संकाय	2	.569	.285	.012
शिक्षण माध्यम ×संकाय	2	28.871	14.435	.630
त्रुटि	123	2816.763	22.901	
योग	128	98463		

तालिका से ज्ञात होता है कि शिक्षण माध्यम के लिए समायोजित $_c$ f का मान .885 जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 1/125 है। अर्थात् अंग्रेजी एवं हिन्दी बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में सार्थक अंतर है। जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना " बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम के माध्य फंलाकों में

कोई सार्थक अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो, निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता शिक्षण माध्यम से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते है कि अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के प्रशिक्षणार्थी हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर जागरूकता का स्तर समान है। इस कारण शिक्षण माध्यम का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृश्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

तालिका से ज्ञात होता है कि संकाय के लिए समायोजित f का मान **.012** जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 2/123 है। अर्थात् विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना " बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर संकाय के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो, निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता संकाय से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के प्रशिक्षणार्थी हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर बराबर रूप से ध्यान देते है। इस कारण संकाय का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

तालिका से ज्ञात होता है कि शिक्षण माध्यम एवं संकाय की अंतर्क्रिया के लिए समायोजित िका मान **.630** जो कि **0.05** सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 2/123 है। अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला एवं इनकी अंतर्क्रिया का बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक के रूप में लिया गया है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम एवं संकाय की अंतर्क्रिया के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो, निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला के प्रशिक्षणाथियों एवं इनकी अंतर्क्रिया से स्वतंत्र पायी गयी, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के विज्ञान, वाणिज्य और कला के प्रशिक्षणार्थी हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर समान ध्यान देते हैं। साथ ही साथ शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों ने अपने दायित्वों का सफलता

पूर्वक निर्वहन किया है एवं सभी विद्यार्थियों को वर्तनीगत नियमों से परिचित करवाया है। इस कारण शिक्षण माध्यम एवं संकाय की अंतर्क्रिया का हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया था।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष थे–

1. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।
2. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शैक्षणिक योग्यता के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।
3. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम, शैक्षणिक योग्यता एवं इनकी अंतर्क्रिया के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।
4. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर संकाय के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।
5. बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनीगत शुद्धता पर शिक्षण माध्यम एवं संकाय एवं इनकी अंतर्क्रिया के माध्य फंलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि वर्ग एवं पृष्ठभूमि को सहप्रसरक माना गया हो।

संदर्भ

1. नगेन्द्र एवं हरदयाल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, नौएडा, मयूर पेपरबैक्स, 2010
2. प्रसाद, वी, : आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, पटना, भारती भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2001
3. शर्मा, जी. एवं भारद्वाज, एस. : हिन्दी भाषा शिक्षण, आगरा, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, 2004
4. सिंह, ए. के. : मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 2006
5. सिंह, के. : हिन्दी शिक्षण, लखीमपुर–खीरी, गोविन्द प्रकाशन, 2006
6. Gaur, A. & Gaur, S. : Statistical Methods For Practice And Research, New Delhi, Response Books, 2006

राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन गरीबी प्रशमन की दिशा में एक और कदम

स्वर्ण जंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो स्व सहायता समूहों तक पहुंचने के जरिए स्व–रोजगार पर केंद्रित है। यह योजना 1999 में शुरू की गई थी। इस योजना को देशभर में मिशन मोड में कार्यान्वित करने के लिए अब इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले (बीपीएल) करीब 7 करोड परिवारों में से 4 करोड 50 लाख परिवारों को अभी स्व सहायता समूहों में संगठित किया जाना है, इस तथ्य के मद्देनजर योजना की पुनसंरचना की जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य सभी गरीब ग्रामीण परिवारों (बीपीएल) तक पहुंचना और उन्हें टिकाऊ आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। इससे वे गरीबी से बाहर निकलने में समर्थ हो सकेंगे तथा अच्छा जीवन जी सकेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

गरीबों की सशक्त एवं टिकाऊ जमीन से जुड़ी संस्थाएं बनाने के माध्यम से गरीब परिवारों को लाभदायक स्व–रोजगार सुलभ कराने और कुशल बनाने के फलस्वरूप कुशलतापूर्ण सवेतन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए टिकाऊ आधार पर उनकी आजीविका में सुधार द्वारा गरीबी कम करना।

दृष्टिकोण

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तीन स्तम्भों पर कार्य करता हैः

- गरीबों की आजीविका के मौजूदा विकल्प बढ़ाना और उनका विस्तार करना
- बाहरी रोजगार के बाजार के लिए कुशलता प्रदान करना, और
- स्व–रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना।

आजीविका सेवाओं में वित्तीय एवं पूंजी सेवाएं, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की सेवाएं शामिल हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल एवं इनपुट, बाजार संपर्क इत्यादि शामिल हैं। इच्छुक

ग्रामीण बीपीएल युवक को परामर्श के बाद एंव रोजगार प्रदान की जरूरत के अनुरूप योग्यता के अनुसार कौशल विकास उपलब्ध कराया जाएगा तथा लाभदायक रोजगार प्रदान किया जाएगा। स्व–रोजगार एवं उद्यमिता केंद्रित गरीबों को कौशल एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसे स्थापित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और मांग पर उत्पादों एंव सेवाओं के लिए लघु उद्यमी के रूप में विकास करने का अवसर प्रदान कराया जाएगा। इन मंचों से गरीबों को अपने अधिकारों एवं हक, सार्वजनिक सेवाओं तथा नवप्रवर्तनों तक पहुंचने के लिए, उनके लिए समक्ष माहौल बनाने के जरिए विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी करने और एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

मिशन मोड में ही क्यों?

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यन्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है। यहः

(क) वर्तमान आवंटन आधारित रणनीति से मांग आधारित रणनीति की तरफ प्रस्थान में समर्थ बनाता है, राज्यों को अपनी खुद की आजीविका आधारित गरीबी प्रशमन कार्य योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाता है।
(ख) लक्ष्यों, परिणामों और समयबद्ध डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित
(ग) सतत क्षमता निर्माण, अपेक्षित कौशल प्रदान करना और संगठित क्षेत्र से आए लोगों सहित गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा
(घ) गरीबी के परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मांग आधारित रणनीति का पालन किया जाता है। इसमें राज्यों के पास आजीविका आधारित अपनी योजनाएं और गरीबी प्रशमन के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं विकसित करने का लचीलापन होता है। कुल मिलाकर योजनाएं आपस में गरीबी के अनुपात पर आधारित राज्य के लिए आवंटन की सीमा में ही होंगी।

जमीन स्तर पर नियोजन में भागीदारी, अपनी खुद की योजनाओं के कार्यन्वयन, अपने अनुभवों पर आधारित योजनाओं की समीक्षा करने और नई योजनाएं तैयार करने के जरिए गरीब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये योजनाएं न सिर्फ मांग से संचालित होंगी बल्कि वे गतिशील भी होंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं

गरीबों के लिए सामाजिक समावेश एवं संस्थाएं

1. **सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटताः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से यह सुनिश्चि होगा कि प्रत्येक चिह्नित ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य (महिलाओं को

वरीयता) को समयबद्ध ढ़ंग से स्व सहायता समूह के दायरे में लाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज के कमजोर वर्गों के पर्याप्त लोगों को इस योजना के दायरे में लाया जाए ताकि 50 प्रतिशत लाभार्थी अजा/अजजा वर्ग के, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के और 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हों। इस दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि योजना का अंतिम लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 100 प्रतिशत लोगों को योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करना है।

2. **गरीबों की संस्थाओं का संवर्धनः** स्व सहायता समूह जैसी गरीबों की सशक्त संस्थाओं और उनके ग्रामीण स्तर एवं उच्च स्तर के संघों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3. **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माणः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से यह सुनिश्चित होगा कि गरीबों को उनकी संस्थाओं के प्रबंध के लिए, बाजारों से जोड़ने के लिए, उनकी मौजूदा आजीविका का प्रबंध करने, उनकी ऋण को आत्मसात करने की क्षमता और ऋण पात्रता बढ़ाने के लिए अपेक्षित कौशल उपल्बध हों।

4. **आवर्ती कोष और पूंजी सब्सिडीः** सब्सिडी आवर्ती कोष और पूंजी सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगी।

5. **सार्वभौमिक वित्तीय समावेशः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सभी गरीब परिवारों, स्व सहायता समूहों और उनके संघों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा सार्वभौमिक वित्तीय समावेश हासिल करने की दिशा में कार्य करेगा।

6. **ब्याज सब्सिडी का प्रावधानः** ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यमों को आर्थिक रूप से वहनीय बनाने के लिए कम ब्याज दर पर और अनेक तरह के ऋण की आवश्यकता है।

7. **आजीविकाएंः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आजीविकाओं की पूरी श्रेणी पर काम करेगा और मौजूदा आजीविकाओं को स्थिर बनाने और बढ़ाने तथा फिर उनकी आजीविकाओं के विविधिकरण की दिशा में काम करेगा।

8. **बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण और बाजार समर्थनः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि गरीबों की मुख्य आजीविकाओं के लिए ढ़ांचागत जरूरतें पूरी की जाएं। राज्य के कार्यक्रम के बजट का 20 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए आरक्षित है।

9. **कौशल एवं प्लेसमेंट परियोजनाएंः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भागीदारी के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं प्लेसमेंट परियोजनाएं चलाई जाएंगी, क्योंकि यह युवकों की

बेहतरी के लिए किया गया श्रेष्ठ निवेश है तथा उभरते बाजारों में आजीविकाओं के अवसरों के लिए प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस प्रयास में प्रमुख भागीदार होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय आवंटन का 15 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।

10. **ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देता है। ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान जिले में बेरोजगार ग्रामीण युवक को आवश्यकता आधारित प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद व्यवस्थित सहायता उपलब्ध कराने के जरिए विश्वसनीय स्व रोजगार उद्यमी में रूपांतरित करता है।

11. **नवप्रवर्तनः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि सफल नवप्रवर्तन से बेहतर रास्ता दिखाने या गरीबी से निकलने के भिन्न रास्ते के जरिए गरीबी प्रशमन का कार्य सीखा जा सकता है। नवप्रवर्तन के लिए केंद्रीय आवंटन की 5 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है।

रूपांरतण और भागीदारी

12. **रूपांरतणः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीधी सहक्रिया विकसित करने के लिए और गरीबों की संस्थाओं के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के रूपांतरण पर अत्यधिक बल दिया जाएगा।

13. **स्वयं सेवी संगठनों और अन्य सीएसओ के साथ भागीदारीः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सेवी संगठनों और समाज के अन्य संगठनों (सीएसओ) के साथ रणनीतिक एवं कार्यान्वयन दो स्तरों पर अत्यधिक सक्रिय भागीदारी की तलाश की जाएगी।

14. **कार्यनिष्पादन समीक्षा संस्थाओं (पीआरआई) के साथ संपर्कः** परस्पर सलाह एवं समर्थन के आदान–प्रदान और संसाधनों को साझा करने के लिए गरीबों एवं कार्यनिष्पादन समीक्षा संस्थानों (पीआरआई) के बीच नियमित परामर्श के लिए औपचारिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। तथापि उनकी स्वायत्ता के संरक्षण के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। जहां कोई कार्यनिष्पादन समीक्षा संस्थान नहीं होगा, वहां पारंपरिक स्थानीय ग्रामीण संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किया जाएगा।

संवेदनशील समर्थन

15. **बाहरी संवेदशील सहायता संरचाएंः** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रक्रिया प्रधान प्रयासों के लिए समर्पित मानव संसाधनों की जरूरत होगी। इस बात को समझते हुए,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला एवं उप–जिला स्तरों पर समर्पित सहायता संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। सलाह, समन्वय एवं अधिकार प्राप्त समितियां और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई, स्वायत्त निकायों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों तथा राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंध इकाइयों, जिला मिशन प्रबंध इकाइयों तथा खंड विकास और/या क्लस्टर स्तरों पर उप–जिला इकाइयों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संरचना का गठन होगा। इन संरचनाओं के साथ सरकारों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और कार्यनिष्पादन समीक्षा संस्थाओं का उपयुक्त संपर्क होगा।

16. **तकनीकी सहायता**: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनकी संस्थागत क्षमताओं के निर्माण और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों और अन्य भागीदारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

17. **निगरानी और शिक्षण:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वेब–समर्थ व्यापक एमआईएस, कार्यनिष्पादन समीक्षा समितियों की नियमित बैठकों, वरिष्ठ साथियों के दौरों, स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय निगरानी समूहों और समीक्षा एवं नियोजन मिशनों के तंत्र के जरिए अपने परिणामों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके लिए प्रक्रिया निगरानी अध्ययन, विषय आधारित अध्ययन और प्रभाव मूल्यांकन सहायता उपलब्ध कराएंगे। इससे ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा।

18. **वित्तपोषण प्रारूप**: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है तथा कार्यक्रम के वित्तपोषण को केंद्र और राज्य 75.25 (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10, केंद्र शासित क्षेत्र के मामले में पूरी तरह केंद्र के जरिए) के अनुपात में वहन किया जाएगा।

19. **चरणबद्ध कार्यान्वयन**: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाएगा। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सभी जिलों और विकास खंडों तक पंहुचा दिया जाएगा। जिन विकास खंडो में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को गहन एवं व्यापक रूप से लागू किया जाएगा उनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों का पूर्ण घटक शामिल होगा तथा इन विकास खंडो में सार्वभौमिक एवं गहन सामाजिक समावेश, आजीविकाओं, भागीदारिओं जैसी व्यापक गतिविधियां चलाई जाएंगी।

20. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करना:** सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिक शुरूआत के एक वर्ष के भीतर इस मिशन को लागू करना होगा। इस अवधि के बाद स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाला वित्त पोषण बंद हो जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समक्ष कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश में 6 लाख गांवों में 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों, 6000 विकास खंडों, 600 जिलों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 7 करोड़ परिवारों (बीपीएल परिवार) तक पहुंचने, एकजुट करने और सहायता उपलब्ध कराने के जरिए उन्हें स्व प्रबंधित स्व सहायता समूहों और उनकी संघीय संस्थाओं में बदलने तथा आजीविका जुटाने में समर्थ बनाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीर्घावधि समर्पित सहायता उनके साथ होगी तथा गरीबी से निकलने के प्रयासों में उनकी पूरी मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त गरीबों को उनके अधिकारों, उनके हक और सार्वजनिक सेवाओं, विविधीकृत जोखिम और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक सूचकों तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद की जाएगी।

आर्थिक सहायता/वित्तीय मानक/मानक/सीमाएं

1. **स्व सहायता समूह बनाना**: समूह बनाने और विकास के लिए स्वयं सेवी संगठनों/सीबीओ/समुदाय समन्वयकों/फैसिलिटेटर्स/एनीमटर्स को प्रत्येक स्व सहायता के लिए 10,000 रूपये दिए जाएंगे।

2. **आवर्ती कोष**: स्व सहायता समूह को प्रत्येक स्व सहायता समूह के हिसाब से न्यूनतम 10,000 रूपये और अधिकतम 15,000 रूपये कॉरपस के रूप में दिए जाएंगे। यह रूपये उन सभी स्व सहायता समूहों को दिए जांएगें, जिन्होंने पहले आवर्ती कोष प्राप्त नहीं किया है। केवल 70 प्रतिशत से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले स्व सहायता समूह की आवर्ती कोष पाने के पात्र होंगे।

3. **पूंजी सब्सिडी**: स्व सहायता समूहों के सदस्यों और व्यक्तिगत लाभार्थियों दोनों के लिए ही पूंजी सब्सिडी की सीमा लागू है। सब्सिडी 15,000 रूपये प्रति साधारण श्रेणी और 20,000 रूपये प्रति अजा/अजजा श्रेणी के हिसाब से दी जाएगी। एक स्व सहायता समूह अधिकतम 2 लाख 50 हजार रूपये की सीमा तक सब्सिडी का पात्र होगा। केवल बीपीएल परिवार ही व्यक्तिगत सब्सिडी पाने के पात्र हैं तथा केवल 70 प्रतिशत से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले स्व सहायता समूह ही स्व सहायता समूह के लिए सब्सिडी पाने के पात्र हैं।

4. **क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण**: रूपये 7,500 प्रति लाभार्थी – इस घटक के तहत उपलब्ध राशि न सिर्फ लाभार्थियों बल्कि कार्यक्रम अधिकारियों और कर्मचारियों, सामुदायिक पेशेवरों, संबंधित सरकारी अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों, कार्यनिष्पादन समीक्षा संस्थाओं के कार्यकर्ताओं इत्यादि सहित अन्य हितधारकों के भी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। इस घटक के तहत एक्सपोजर विजिट और इमर्जन विजिट के लिए किया गया व्यय

भी शामिल होगा। यहां कौशल प्रशिक्षण का मतलब स्व रोजगार के लिए सदस्य स्तरीय प्रशिक्षण से है तथा यह प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रशिक्षण से भिन्न है।

5. **ब्याज सब्सिडी**: तत्परता के साथ ऋण चुकाने पर आधारित बैंकों से हासिल सभी स्व सहायता ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी। ब्याज सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थी या स्व सहायता समूह सदस्य को उस समय तक दी जाएगी, जब तक वह एक लाख रूपये तक का ऋण लेता/ती हैं। यह संभावना है कि स्व सहायता समूह में सदस्यों को बार बार ऋण दिया जाएगा तथा एक लाख की यह सीमा सदस्य (परिवार) द्वारा हासिल संचयी ऋण है। यह सब्सिडी ऐसे अवसरों के लिए उपलब्ध नहीं है, जब स्व सहायता समूह ने पूंजी सब्सिडी हासिल की हो।

6. **संघों के टिकाऊ और प्रभावी बनाने के लिए कॉरपस निधि के लिए एकमुश्त अनुदान**: ग्राम/पंचायत स्तरीय संघ के लिए 10,000 रूपये

– विकास खंड स्तर के संघ के लिए 20,000 रूपये
– जिला स्तरी संघ के लिए 1,00,000 रूपये

7. **प्रशासनिक व्यय**: आवंटन का 5 प्रतिशत, कौशल एवं विकास प्लेसमेंट संबंधी घटक का शुद्ध और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के घटक का शुद्ध। केंद्रीय सहायता की यह 5 प्रतिशत राशि राज्यों और तदनुरूप राज्य के हिस्से के अनुसार जारी होगी।

8. **बुनियादी ढ़ाचा और विपणन**: केंद्रीय हिस्से और आवंटन के राज्य के हिस्से अर्थात राज्य के कार्यक्रम का परिव्यय का 20 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत तक)

9. **कौशल एवं प्लेसमेंट परियोजनाएं और नवप्रवर्तन (केंद्रीय आवंटन का 20 प्रतिशत)**: नवप्रवर्तन परियोजनाओं पर व्यय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा शेष 15 प्रतिशत प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है। प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं के लिए (7.5 प्रतिशत) आवंटन का 50 प्रतिशत बहु–राज्य कौशल विकास परियोजनाओं तथा प्लेंसमेंट परियोजनाओं के लिए केंद्र के पास रखा रहता है तथा शेष राज्य विशेष की कौशल विकास प्लेसमेंट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आवंटित किया जाता है। राज्यों को केंद्र की ओर से जारी राशि में अपना हिस्सा जोड़ना होता है।

संभावना है कि इस मिशन के शुभारंभ से गरीबी प्रशमन के उपायों में मदद मिलेगी तथा देश में बराबर एवं समोवेशी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

जलवायु परिवर्तन का उत्तराखण्ड की मुख्य आजीविका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा स्थानीय समुदायों द्वारा अपनाई गई अनुकूलन की रणनीति

सरिता पंवार

वर्तमान सदी में विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या भूमण्डलीय तापमान के कारण संभावित भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारणों में ओजोन क्षरण, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर ह्रास आदि प्रमुख हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि का संभावित परिणाम स्थानीय, प्रादेशिक तथा भूमंडलीय स्तर पर जलवायु में परिवर्तन होना है।

वर्ष 1987 इतिहास में पहला सर्वाधिक गर्म वर्ष दर्ज किया गया था और 1980 का दशक उस समय तक का सबसे गर्म दशक। तब से अब तक पृथ्वी निरन्तर गर्मा रही है और 1987 के बाद से सर्वाधिक गर्म वर्ष लगातार कीर्तिमान तोड़ रहे हैं। अब 1990 के दशक को पिछले हजार सालों के सर्वाधिक गर्म शताब्दी का सर्वाधिक गर्म दशक माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय व वायुमण्डलीय प्रशासन (यू.एस. नेशनल ओशिएनिक एण्ड एटमॉस्फीरिक एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के तापमान के बढ़ोतरी से समुद्र का स्तर 700 मीटर उठा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र व महासागर पिछले पांच दशकों से गर्मा रहे हैं।

एक अनुमान के अनुसार विगत 100 वर्षों में जीवाश्म ईंधन (कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस) के अत्यधिक जलावन से धरातलीय वायु के तापमान में 0.5 डिग्री से0 से 0.7 डिग्री से0 तक की वृद्धि हुई है। एक अन्य स्रोत के अनुसार 1995 तक भूमंडलीय तापमान में 1.5 डिग्री से0 की वृद्धि मानी गई है। मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के कारण जिसमें कि संपूर्ण विश्व में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि, जनसंख्या में बेलगाम वृद्वि, उत्पादक प्रौद्योगिकियों (Productive Technologies) में निरंतर प्रगति, वैश्विक भूमि उपयोग में भारी परिवर्तन जैसे वन भूमि का कृषि भूमि में रूपान्तरण, कृषि भूमि में उद्योग और नगरीकरण का विस्तार आदि कारक भूमंडलीय ताप वृद्धि तथा उससे होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।

2007 वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर एक सरकारी समिति ने अपने में रिपोर्ट में कहा था कि 2050 तक औसत भूमण्डलीय तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है जिससे जलवायु में भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हिमालय में कुल 9575 ग्लेशियर हैं जिनमें से उत्तराखण्ड में कुल 968 ग्लेशियर मौजूद हैं। इन ग्लेशियरों में सिकुड़ने की प्रवृत्ति बनने के प्रमाण मिल रहे हैं। इतना ही नहीं इस दर में भी धीरे – धीरे बढ़ोतरी हो रही है। जहां जलवायु परिवर्तन से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है वहीं जनसंख्या दबाब से भी कई प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं।

भूमण्डलीय तपन के विनाशकारी प्रभाव :

जलवायु परिवर्तन से मनुष्य के निवास स्थान तथा प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन पैदा हो गया है। इसके संभावित व्यापक दुष्प्रभावों से आज विश्व समुदाय भयभीत है। तापमान में वृद्धि के कारण हिमनदियों एवं हिम पेटियों के पिघलने से सागर तल में वृद्धि होगा। इसके कारण राष्ट्रों एवं प्रमुख सागर तटीय निम्न भागों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस आशय के प्रति विश्व समुदाय को जागृत करने के लिए पिछले वर्ष मालद्वीव ने अपनी कैबिनेट की बैठक जो कि जलवायु परिर्वन के दुष्प्रभावों पर केंद्रित थी समुद्र के अंदर आयोजित की। नेपाल ने भी एवरेस्ट के बेस कैम्प में अपनी कैबिनेट बैठक इस आशय से आयोजित की कि यदि हममें अभी भी चेतना नहीं आई तो हिमालय के ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। इससे अंततः ये समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आएंगे। कहीं बाढ़ का प्रभाव होगा तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। निरंतर बढ़ते हुए तापमान के कारण विश्व में स्थित विभिन्न पारिस्थैतिक तंत्र जो कि जैविक संसाधनों, वनस्पतियों तथा विभिन्न प्रजाति के जीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, धीरे – धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और लगभग जीवों तथा वनस्पति की 40 प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल (IPCC) के संयोजक प्रो आर के पचौरी ने भूमंडलीय तपन के प्रमुख स्रोतों तथा प्रक्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है तथा बताया कि प्रति वर्ष 29 मिलियन टन कार्बनाडाईआक्साइड की वायुमंडल में मौजूदगी सागर जल को अम्लीय बना रही है जिसके कारण कोरल रीफ, पल्लवक तथा विभिन्न प्रकार की व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं।

एक अध्ययन के अनुसार सन् 2025 तक आते आते पूरी दुनिया के दो तिहाई हिस्से को पानी का भारी संकट झेलना पड़ेगा। वहीं भारत को 2020 में ही इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 2025 आने तक विश्व के दो तिहाई लोग पानी की समस्या झेल रहे होगें। तिब्बत के पठार पर मौजूद हिमालय के ग्लेशियर समूचे एशिया में 1.5 अरब से अधिक लोगों को मीठा जल उपलब्ध कराते हैं मगर जलवायु परिवर्तन और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक तत्वों ने ग्लेशियरों पर जमी बर्फ की मात्रा को घटा दिया है। इसका सीधा असर करोड़ो लोगों को होने वाली जलापूर्ति पर पड़ेगा। इससे बाढ़ का खतरा भी पैदा होगा, जिससे अरबों रूपयों का नुकसान हो सकता है। पानी की कमी सीमा पार विवादों को भी बढ़ावा देती है।

इस सदी के मध्य तक जलवायु में हुए असामयिक परिवर्तन से मानव जीवन पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। सागर जल स्तर के बढ़ने, बाढ़ तथा सूखे, कुपोषण तथा बढ़ते तापमान के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने से पृथ्वी की 200 मिलियन आबादी या तो अपने वास स्थल छोड़ने को मजबूर हो जाएगी जिनको जलवायु शरणार्थी अथवा पर्यावरणीय विस्थापित (Climate Refugee) भी कहा जा सकता है या फिर इनमें से अधिकांश को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या से लोग जूझते नजर आऐंगे और कृषि भूमि भी तेजी से संकुचित होगी।

सारी दुनिया में इस समय तूफान, बाढ़, सूखा तथा मानव, पक्षी एवं पौधों के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन भविष्य में होने वाली आपदाओं के संकेत दे रहे हैं। यह अनुमान है कि जिन इलाकों में आज ठंड पड़ रही है आने वाले समय में वहां गरम तेज हवाएं चलेंगी।

उत्तराखण्ड का पारिस्थैतिक तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन का यहां की आजीविका एवं जीवन निर्वाहक कृषि पर प्रभाव

पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है जो कि ऊँचाई के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय भागों में विभिन्न भू–पारिस्थैतिक दशाओं के द्वारा सूक्ष्म जलवायिक क्षेत्रों का निर्माण होता है। इन सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की दर भिन्न–भिन्न होती है। यदि हम उत्तराखण्ड के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का आंकलन करें तो हम पाते हैं कि दो जिलों हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिले पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें भी अधिकतर भू – भाग लघु हिमालय और महान हिमालय के अंतर्गत आता है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पर्वतीय पारिस्थैतिक तन्त्र वैश्विक तापक्रम में वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उत्तराखण्ड का पारिस्थैतिक तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जैविक संसाधनों द्वारा अंतर्संबंधित है। जल, जंगल और जमीन यहां के सामाजिक और आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यहां के समाजों में इन संसाधनों की महत्ता, इनके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए अत्यधिक चेतना एवं जागरूकता पाई जाती है। यही कारण है कि अपने संसाधनों के दोहन एवं क्षरण को सहन न करते हुए विश्व विख्यात चिपको एवं नदी घाटी बचाओ आंदोलन के लिए यहां का ग्रामीण समुदाय उठ खडा हुआ था। यहां के पारिस्थैतिक तंत्र की विशेषताओं में जहां एक ओर आकर्षक भव्य सुरम्य, प्राकृतिक भूदृश्य हैं जो कि विश्व के किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में सक्षम हैं, वहीं दूसरी ओर यहां के स्थानीय समुदाय हैं जो कि सदियों से प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अपनी जीवटता के आधार पर अपनी आजीविका को चला रहे हैं।

उत्तराखण्ड में आजीविका के विभिन्न प्रारूप हैं, जो कि सामान्यतः आपस में गहनता से अन्तर संबंधित हैं। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जो कि जीवन निर्वाहक कृषि के रूप में टिकाऊपन की संकल्पना पर आधारित है और जीवन निर्वाहक कृषि ही यहां के

आजीविका का प्रमुख साधन है। प्रायः आजीविका के अन्य सहायक प्रारूप जैसे पशुपालन, पशु चारण, उद्याानिकी, शिल्प कला, दैनिक मजदूरी तथा पर्यटन यहां की जीवन शैली को संचालित करती हैं। विदित है कि उपरोक्त सभी आजीविका के साधन प्राकृतिक घटकों जैसे जलवायु, मौसम, पारिस्थैतिकी एवं अप्रत्यक्ष घटकों जैसे सूर्य का प्रकाश, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार तथा पृथ्वी पर इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं और इन सभी प्राकृतिक कारकों में वैश्विक स्तर पर संभावित परिवर्तन को अंकित किया गया है जो इंगित करता है कि उत्तराखण्ड में रह रहे समाजों जैसे कृषक, सीमांत कृषक, महिला, शिल्पकार, वनवासी, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका के प्रारूप में भी स्वभाविक परिवर्तन आया है जिससे कि उनका जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है।

कृषि इन सभी आजीविका प्रारूपों के केन्द्र में है तथा उत्तराखण्ड की आर्थिकी कृषि पर आधारित है। यह सभी प्रकार के अन्य प्राथमिक व्यवसायों को भी प्रभावित करती है। शोध के द्वारा ज्ञात हुआ है कि उत्तराखण्ड की कृषि तथा वन क्षेत्र में गहन संबंध है। एक हैक्टेयर आदर्श कृषि भूमि के लिए 50 हैक्टेयर सघन वन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कृषि के लिए सिंचाई, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय हिस्सों में मौजूदा कृषि का प्रारूप परंपरागत है जिसमें कि स्थानीय लोग सदियों से पहाडी परंपरागत अनाजों (कोदा, झंगोरा, कोणी, चीणा, गहत, तोर, काले भट्ट, राजमा, जख्या, ओगल, फाफर, चौलाई आदि) का उत्पादन करते आए हैं। किन्तु तुलनात्मक रूप से कृषि प्रारूप में विगत दो–तीन दशकों से भारी परिवर्तन आया है जिसके लिए बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थैतिक एवं जलवायु सम्बन्धी कारक जिम्मेदार हैं। इनमें से जलवायु परिवर्तन एक प्रधान कारक है जिसने परंपरागत कृषि को तो प्रभावित किया ही है साथ ही मुख्य आजीविका के साधनों पर दुष्प्रभाव डालकर यहां के जन जीवन को भी छिन्न भिन्न किया है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय भागों में सीमित कृषि क्षेत्र गुरूत्व आधारित सिंचाई सुविधाएं हैं जिसमें स्थानीय नालों/गदेरों का पानी गूलों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह सिंचित क्षेत्र जो कि स्थानीय भाषा में तलाऊ या सेरा के नाम से जाने जाते हैं, में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। यह फसल घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है तथा प्रति हेक्टेयर उपज भी औसत उपज से अधिक है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब विगत 2 दशकों से मौसम चक्र में बदलाव के कारण स्थानीय नालों में जल की उपलब्धता में परिवर्तन आया है जिससे सदाबहार नाले मौसमी नालों में परिवर्तित हो रहे हैं तथा मौसमी नाले पूर्णतया सूख रहे हैं। इन नालों में जल की अनउपलब्धता के कारण सिंचाई सुविधाएं प्रभावित हुई हैं जिससे फसल चक्र एवं उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब सिंचाई के अभाव में यह उपजाऊ कृषि भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है जिससे संपूर्ण क्षेत्र में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है तथा खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अन्य वाह्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ी है।

उत्तराखण्ड में विगत कुछ वर्षों में मौसम में व्यापक परिवर्तन के कारण वर्षा की दर तथा प्रारूप में बदलाव दर्ज किया गया है। यहां पर विशेष तौर पर सर्दियों में होने वाली वर्षा में कमी आई है। इसके कारण मृदा में नमी की मात्रा में कमी आई है जो कि Seed Germination के लिए एक प्रमुख अवरोधक है। इसके अभाव में फसल चक्र तथा उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा संपूर्ण कृषि सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 1000 से 1800 मीटर के मध्य तापमान में कई कीट अस्तित्व में आए हैं जो कि फसलों को नष्ट कर रहे हैं। जी बी पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान के एक नवीनतम शोध के अनुसार नंदा देवी वायोस्फेर रिजर्व क्षेत्र में परणजालक कीट ने चौलाई की फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। जलवायु परिवर्तन ने उद्यानिकी को भी प्रभावित किया है जिससे विशेषकर सेब की फसल अत्यधिक प्रभावित हुई है। तापमान में वृद्धि तथा असमय हिमपात के कारण उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्र में सेब की फसल नष्ट हुई।

जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतिक संसाधनों विशेषकर वनाच्छादित क्षेत्रों परिवर्तन हो रहा है। जिससे जहां पर पहले वन हुआ करते थे अब अनुपयोगी Weed Germinete हो रहे हैं। उच्च क्षेत्रों में आजीविका पशुपालन/पशुचारण पर निर्भर करती है। मौसम परिवर्तन के कारण बुग्यालों में घास की मात्रा में कमी आई है एवं परंपरागत तालाब भी सूख रहे हैं जिससे चारे तथा जल के अभाव में पशुचारण सीमित हो गया है। इन क्षेत्रों में पशुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

स्थानीय समुदायों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने लिए अपनाई जाने वाली अनुकूलन की रणनीति हेतु प्रमुख सुझाव

- जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों का व्यापक स्तर पर शोध एवं इसके अनुकूलन मॉडलों का निर्माण, जो कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं पर आधारित हों।
- जलागम प्रबंधन के द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय जिनमें विभिन्न अभियांत्रिक तकनीकों द्वारा जल को संरक्षित करना एवं जल केा रिचार्ज करने वाली वानस्पतिक प्रजातियों (उतीस, बांज, मोरू आदि) का रोपण।
- कृषि में अपेक्षाकृत कम पानी वाली फसलों का चयन करना।
- परंपरागत फसल विविधता को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए बीजों के संरक्षण एवं परंपरागत फसलों को प्रोत्साहित करना क्योंकि परंपरागत फसलों (पहाड़ी अनाजों) में प्राकृतिक परिवर्तन का सामना करने के लिए अधिक प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है।
- पशुपालन को मजबूती प्रदान करने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त चारा घास का रोपण तथा गुणवत्तापरक पशु प्रजातियों का वंश सुधार करना।
- पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र हैं जो कि संपूर्ण विश्व को आक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों को अधिक हरा–भरा बनाने के लिए तथा स्थानीय

समुदायों की निर्भरता वनों पर कम करने के लिए ग्रीन बोनस अथवा आक्सीजन की रॉयल्टी दी जानी चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का पर्यावरण संरक्षित रह सके।

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर कई व्यक्ति सक्रिय हैं जैसे– जगत सिंह चौधरी जंगली, सचिदानंद भारती, चंडी प्रसाद भट्ट, गणेश सिंह गरीब, सुंदरलाल बहुगुणा, बाली देवी, प्रेम सिंह सनवाल आदि। इनके द्वारा पारिस्थैतिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन इको सेवाओं को सर्विस सेक्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- नीतिगत स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों को वरीयता दी जाए तथा योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को एक मानक रूप में शामिल किया जाए।
- पर्वतीय पारिस्थैतिक तंत्र की स्थिरता के लिए उपयोगी वृक्ष प्रजातियों का सघन रोपण, ताकि अधिक से अधिक कार्बन डाइआक्साइड गैस अवशोषित हो सके।
- उत्तराखण्ड में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उत्पादन एवं उपभोग बढ़ाया जाए।
- सतत् विकास हेतु पर्याप्त पूंजी तथा प्रगत प्रोद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जिसकी उत्तराखण्ड में सर्वाधिक कमी है। अतः व्यापक स्तर पर अन्य क्षेत्रों से पूंजी तथा प्रगत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित गति से किया जाना चाहिए।
- दुर्लभ एवं संकटापन्न जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों के विलोपन की दर में कमी लाने के लिए अधिक से अधिक जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों का विकास होना चाहिए।

संदर्भ

1. 23 दिसम्बर 2009 इण्डिया टुडे।
२. Environmental Geo – Hazards, Science & Society – 2006 Research India Press.
3. जलवायु परिवर्तन व रूपांतरकारी कार्यवाही पर वैश्विक नागरिक निर्देशिका PANAP – Rice Sheets.
4. उत्तराखण्ड नदी बचाओ संदेश–शब्द संस्कृति प्रकाशन 74–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून वर्ष 2011.
5. युगवाणी – युगवाणी प्रेस, 14–बी क्रॉस रोड देहरादून, मई 2010.

"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

Dr. B. R. Ambedkar

हमारे लेखक

एस.एस. रावत
विभागाध्यक्ष एवं आचार्य,
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग
हे.न.बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

भारती जोशी
सहायक संचालक
आजीवन शिक्षण विभाग,
देवी अहिल्या वि.वि., इंदौर

अर्चना दुबे
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
शिक्षा अध्ययन शाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

महेन्द्र पाटीदार
यू.जी.सी. जे.आर.एफ.
शिक्षा अध्ययन शाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सरिता पंवार
'प्रवक्ता,प्रौढ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय
विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल)